संख्या-17/2018/3862/96-आयुष-1-2018-242/2013

प्रेषक,

सोबरन सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांक 30 अगस्त, 2018

विषय- राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के पुराने भवन में कर्मचारियों के आवासीय निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0-381.13 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4177/यू0नि0/योजना/2018-19, दिनांक 13.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-3500/71-आयुष-1-2014-242/2013, दिनांक 24.09.2014 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0-738.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-70.00 लाख, शासनादेश संख्या-6/2017/603/71-आयुष-1-2017-242/2013, दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-150.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-6/2017/3966/96-आयुष-1-2017-242/2013, दिनांक 26 दिसंबर, 2017 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-100.00 लाख अवमुक्त किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रायोजना की मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-738.00 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0-381.13 लाख (रूपया तीन करोड़ इक्यासी लाख तेरह हजार मात्र) अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) प्रयोजना का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाक घर/पी0एल0ए में नहीं रखा जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा, जिस कार्य/मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(5) आगणन की प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। इसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिस्टियों के इस्तेमाल आदि में कोई परिवर्तन, व्यय वित्त समिति के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(10) उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाये। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये। कार्यदायी संस्थी को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के स्वीकृत आदेश में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाये।

(12) आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 06-यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल, 00 के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

सोबरन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-17/2018/3862(1)/96-आयुष-1-18, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
(6) निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(7) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सोबरन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in